भारत सरकार
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सेवा भवन (उत्तरी खंड), आर.के.पुरम,

नई दिल्ली-110066
टेलीफोन न. – 01126732632, ई-मेल – celegal-cea@gov.in
वेबसाइट – www.cea.nic.in

सार्वजनिक नोटिस

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) द्वितीय संशोधन विनियमन, 2026 के प्रारूप को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता है। हितधारकों से टिप्पणी हेतु विनियमों का उक्त प्रारूप के.वि.प्रा. की वेबसाइट www.cea.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2. सभी हितधारकों एवं आम जनता से प्रारूप विनियमों पर अपनी टिप्पणियां ई-मेल **(celegal-cea@gov.in)** अथवा डाक के जरिए मुख्य अभियंता (विधि), कमरा नं. 622, सेवा भवन, (उत्तरी खंड), 6वां तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 को **04 अक्टूबर, 2026** तक भेजने का अनुरोध किया जाता है।

(राकेश कुमार)
सचिव, के.वि.प्रा.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया जाएगा]

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 सितम्बर, 2026

फाइल सं. सीईए-टीएच-17/1/2021-टीईटीडी प्रभाग–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (2) के खंड (e) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) द्वितय संशोधन विनियमन, 2026 तथा उसके संशोधनों का (ऐसे निरसन से पूर्व किए गए अथवा किए जाने से रह गए कार्यों के संबंध में छोड़कर), अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जिन निम्नलिखित प्रारूप विनियमों के संशोधन का प्रस्ताव करता है, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों अथवा सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य अभियंता, विधि प्रभाग, 6वां तल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066, अथवा ई-मेल: celegal-cea@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) द्वितय संशोधन विनियमन, 2026 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक), 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 106ख के उप-विनियम (20) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -
   "106ख (20) 1 जुलाई 2027 के बाद शुरु होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र में कम से कम पंद्रह प्रतिशत इनवर्टरों में ग्रिड-फॉर्मिंग नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही, बैटरी ऊर्जा संचय प्रणाली के सभी पीसीएस में ग्रिड-फॉर्मिंग नियंत्रण होना चाहिए, ताकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियमों में निर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं का पालन किया जा सके।

   बशर्ते ***कि*** *1 जुलाई 2027 के बाद शुरू होने वाले भूमि-स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र और तटवर्ती पवन ऊर्जा संयंत्र में एक ही जगह पर ऊर्जा संचय प्रणाली लगी होनी चाहिए। इस प्रणाली की संचय क्षमता कम*

से कम दो (2) घंटे की होनी चाहिए और इसकी क्षमता संयंत्र की स्थापित क्षमता के कम से कम दस प्रतिशत (10%) के बराबर होनी चाहिए।

(स्पष्टीकरण- यदि सौर संयंत्र 100 मेगावाट का है, तो संचय की आवश्यकता 2 घंटे के लिए कम से कम 10 मेगावाट होगी।)

इसके अतिरिक्त, भूमि-स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र तथा तटवर्ती पवन ऊर्जा संयंत्र, जो 1 जुलाई 2029 के बाद और 30 जून 2031 तक चालू किए जाएंगे, उनमें उसी स्थान पर ऊर्जा संचय प्रणाली लगी होनी चाहिए। इस ऊर्जा संचय प्रणाली की संचय क्षमता कम से कम चार (4) घंटे की होनी चाहिए और इसकी क्षमता संयंत्र की स्थापित क्षमता के कम से कम दस प्रतिशत (10%) के बराबर होनी चाहिए।

(स्पष्टीकरण- यदि सौर संयंत्र 100 मेगावाट का है, तो संचय की आवश्यकता 4 घंटे के लिए कम से कम 10 मेगावाट होगी।)

इसके अतिरिक्त, ग्रिड-फॉर्मिंग क्षमताओं या ईएसएस क्षमता की आवश्यकता के प्रतिशत में किसी भी परिवर्तन को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।"

राकेश कुमार, सचिव

टिप्पण: मूल विनियमन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या सीईए-टीएच-17/1/2021-टीईटीडी डिवीजन, तारीख 23 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।